रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2002/आषाढ़ 3, 1924
No. 287] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2002/ASADHA 3, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2002

सा.का.नि. 446(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा (i) निदेशक (पी एच आर डी) (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला (iii) सर्व श्री मनोहर एल. बिलानी एवं संतोष बी. नायर एवं (iv) श्री एस. के. स्वामीनाथन, कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र (इन्डियन ऑयल कार्पोरेशन) एवं विकास आयुक्त, कांडला स्पेशल इकनॉमिक जोन को क्रमशः पोत परिवहन मंत्रालय, सीमा शुल्क विभाग, पत्तन न्यासों में नियोजित श्रमिकों और अन्य हितों (निर्वाचित श्रेणी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 29 मई, 2002 की अधिसूचना सा.का.नि. सं.391(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात:-

7	निदेशक (पी एच आर डी)	पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
8	सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9	श्री मनोहर एल. बिलानी, परिवहन एवं डॉक वर्कर्स यूनियन	पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10	श्री संतोष बी. नायर, कांडला पत्तन वर्कर्स यूनियन	पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
11	श्री एस. के. स्वामीनाथन, कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई, इन्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., मार्केटिंग डिविजन, इन्डियन ऑयल भवन, जी - 9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई - 400 051	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के अंतर्गत इन्डियन ऑयल कार्पोरेशन (निर्वाचित श्रेणी में अन्य हितों) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12	विकास आयुक्त, कांडला स्पेशल इकनॉमिक जोन, गांधीधाम, कच्छ - 370 230	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के अंतर्गत कांडला फ्री ट्रेड जोन (निर्वाचित श्रेणी में अन्य हितों) का प्रतिनिधित्व करने के लिए

[फा. सं. पीटी-18011/11/2001-पीटी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2002

G.S.R. 446(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints (i) Director(PHRD) (ii) Commissioner of Customs, Kandla (iii) S/Shri Manohar L. Bellani and Santosh B.Nair and (iv) Shri S.K.Swaminathan, Executive Director, . Western Region(Indian Oil Corporation) and Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone as Trustees to represent Ministry of Shipping, Department of Customs, Labour employed in the Port and Other Interests in elected category respectively, on the Board of Trustees for the Port of Kandla and makes the following amendment in the Notifications of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) G.S.R. No. 391 (E) dated 29th May, 2002.

2 In the said Notification after S.No.6 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

TABLE

7.	Director (PHRD)	Representing the Ministry of Shipping
8.	Commissioner of Customs, Kandla.	Representing the Department of Customs
9.	Shri Manohar L. Bellani, Transport & Dock Workers Union.	Representing Labour employed in the Port.
10.	Shri Santosh B. Nair, Kandla Port Workers Union.	Representing Labour employed in the Port.
11.	ShriS.K.Swaminathan,Executive Director,Western Region,Mumbai,Indian Oil Corporation Ltd., Marketing Division, Indian Oil Bhavan, G-9,Ali Yavar Jung Marg,Bandra(East) Mumbai-400051.	Representing the Indian Oil Corporation (Other Interests in elected category) under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.

12.	Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone. Gandhidham, Kutch-370230,	Representing the Kandla Free Trade Zone (Other Interests in elected category) under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.

[F. No. PT-18011/11/2001-PT]

R.K. Jain, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.